राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3638/2024

पुरूषौतम सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, करौली।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मंडरायल, जिला करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.12.2024

आदेश की दिनांक : 10.12.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय (कम्प्यूटर शिक्षक) के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मंडरायल, जिला करौली में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोंधाई किया गया। उनका कथन है कि राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। अपीलार्थी अधिशेष कार्मिक नहीं है क्योंकि अपीलार्थी का

वेतन वर्तमान पदस्थापन स्थान से ही आहरण किया जा रहा है, जो अनुलग्नक–2 से प्रकट होता है। अपीलार्थी नियमित कार्मिक है और उक्त विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षक का पद स्वीकृत किया गया है और उक्त पद से अपीलार्थी का वेतन आहरण किया जा रहा है और इस प्रकार अपीलाथी अधिशेष कार्मिक नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में दिनांक 17/19.11.2021 को साक्षात्कार हेतु आवेदन मांगे गये, जिसमें अपीलार्थी ने भी भाग लिया और आदेश दिनांक 14.01.2022 के द्वारा अपीलार्थी का उक्त विद्यालय में चयन हुआ और तब से अपीलार्थी निरंतर अपनी सेवायें दे रहा है। परंतु किसी अन्य कार्मिक को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जा रहा है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में मात्र 23 माह का समय शेष है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्पलता मेहता वाले मामले में ऐसे स्थानान्तरणों को उचित नहीं माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय (कम्प्यूटर शिक्षक) के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, मंडरायल, जिला करौली में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रोंधाई किया गया है। राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। अपीलार्थी अधिशेष कार्मिक नहीं है क्योंकि अपीलार्थी का वेतन वर्तमान पदस्थापन स्थान से ही आहरण किया जा रहा है, जो अनुलग्नक–2 से प्रकट होता है। जहां तक अपीलार्थी का आलोच्य आदेश के द्वारा स्थानांतरण किये जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी का चयन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा साक्षात्कार प्रक्रिया अपनाते हुये राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन कर पदस्थापित किया गया है। यह भी सत्य है कि अपीलार्थी की जन्मतिथि के आधार पर अपीलार्थी का राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने में लगभग मात्र 23 माह का

समय शेष है। इस प्रकार वर्तमान प्रकरण के उक्त आधारों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्पलता मेहता वाले मामले में प्रतिपादित सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुये न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष